Loan by SBI to International Clubs

1330. SHRI PRITHIBI MAJHI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi branches of State Bank of India have advanced loans to International Clubs for construction and allotment of shops/kiosks to blind/physically handicapped persons during the last three years;

(b) if so, what are the terms and conditions for repayment of such loans; and

(c) how much repayment of outstanding loan and interest is pending against these clubs?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) State Bank of India has reported that no loan as such has been advanced by its Delhi branches to International Clubs for construction and allotment of shops, kiosks to blind/physically handicapped persons during the last three years. However, in 1985, at the initiative of Rotary Club of Delhi and in collaboration with Municipal Corporation of Dehi, State Bank of India agreed to grant a sum of Rs. 5 lakhs to meet part-cost of the project envisaging construction of 40—45 kiosks for needy physically handicapped persons in Delhi. Out of the sanctioned grant, Rotary Club has so far drawn only Rs. 2,31,493.05.

(b) and (c). Do not arise.

Restoration of popular Government in Punjab

1331. PROF C. LAKSHMANNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering the restoration of a popular Government in Punjab in view of the increased terrorist activity in that State; and

(b) if so, what concrete steps are being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के कार्यकाल का बढ़ाया जाना

1332. **श्री शरद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या हाल में दिल्ली में महानगर परिषद् और नगर निगम का जो कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया उसमें इन मानदण्डों का पालन किया गया था ;

(ग) क्या दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल एक वर्ष इसलिये बढ़ाया गया है कि विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों के बीच समन्वय लाया जा सके; यदि हां, तो क्या इन अभिकरणों में समन्वय की कमी है ; और

(घ) क्या विगत में किसी समिति ने राजधानी के विभिन्न प्रशासनिक अभिकरणों के बीच समन्वय के लिये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था; यदि हां, तो प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) हाल में संशोधित किये गये दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बार में अधिक से अधिक एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार बढ़ाई गई कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(ख) जी, हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) दिल्ली महानगर परिषद् का कार्यकाल और दिल्ली नगर निगम के बढ़ाये गये कार्यकाल को एक वर्ष के लिये